न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 106 / 2022

अनवान : –

1. शीला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 277 / 272 की 5.5010 हैक्ट भूमि स्थित है जिमसें प्रार्थीया का 1 / 3 हिस्सा है जिसकी प्रार्थीया मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम सिलोचना व पति का नाम महावीर प्रसाद भुलवंश से दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम शीला है एवं प्रार्थीया के पति का नाम महावीर है इसलिए प्रार्थीया अपना नाम व पति का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीला पत्नी महावीर दर्ज करवाना चाहती है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीला पत्नी महावीर दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर सही नाम शीला पत्नी महावीर दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज है जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों मे नाम शीला पत्नी महावीर दर्ज है। सिलोचना व शिला एक ही व्यक्ति के नाम है।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया [illegible] शीला [illegible] महावीर है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर [illegible] किया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम शीला पत्नी महावीर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:39 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 277/272 की 5.5010 हैक्ट भूमि स्थित है जिमसें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है जिसकी प्रार्थीया मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, में प्रार्थीया अपना नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीला पत्नी महावीर दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ द्वारा प्रार्थीया के नाम के संबंध मे तस्दीक प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का नाम शीला पत्नी महावीर अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद एवं शीला पत्नी महावीर एक ही व्यक्ति के नाम बाबत अवगत करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट एवं नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 277/272 की 5.5010 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीला पत्नी महावीर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:39 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : सशोधन / 2023 / 1430 दिनांक : 29/12/23

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 106 / 2022 अनवानी शीला बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 106 / 2022
अनवान : –

2. शीला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 277 / 272 की 5.5010 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीला पत्नी महावीर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सिलोचना पत्नी महावीर प्रसाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। । उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:39 IST
Reason: SelfAttested